राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(179)परि/टैक्स/एच क्यू/95/23 जयपुर, दिनांक : 16/2/06

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 2 में यथा-विनिर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के परिवहन यानों के मामले में एक बारीय कर की दर, इसके स्तम्भ सं. 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	एक बारीय कर
1	2	3
1.	चौपहिया मोटर यान	
	(क) ड्राइवर को छोड़कर छह तक की सीट क्षमता वाले मोटर यान (मोटर कैब)	यान की लागत का 3.50 प्रतिशत
	(ख) ड्राइवर को छोड़कर छह से अधिक किंतु बारह तक की सीट क्षमता वाले मोटर यान (मैक्सी कैब)	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 6.00 प्रतिशत
	(ii) पूरी बॉडी सहित क्रय किया गया	यान की लागत का 4.80 प्रतिशत

परन्तु राज्य में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में यदि स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर संदत्त करने का विकल्प देता है तो एक बारीय कर का परिनिर्धारण, ऊपर यथा-संगणित कर की रकम को घटाकर, मोटर कैब या, यथास्थिति, मैक्सी कैब के रूप में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 5 वर्ष तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की दर से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :- कर की संगणना के लिए यानों की लागत :

(i) नये यान/चैसिस के मामलें में, क्रय बिल में यथादर्शित समस्त करों सहित शोरुम बाह्य कीमत होगी।

(ii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत/खरीदे गये और समनुदेशन/रजिस्ट्रीकरण के लिए राजस्थान में लाये गये यानों के मामले में, और स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देने के मामले में, वह लागत होगी जो उस दिन, जिस दिन कर शोध्य होता है, इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

(iii) राजस्थान में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में, वह लागत होगी जो उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्वामी या यान का कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति इस अधिसूचना के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है, की 1 अप्रैल को इस राज्य में तत्समान प्रकार के यानों पर राजस्थान में प्रचलित हो।

टिप्पण : किसी मोटर यान के स्वामी या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय थी, संदत्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(हनुवन्त सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

शासन उप सचिव (मु.)
परिवहन विभाग
राज. जयपुर

क्रमांक : एफ.6(179)परि/टैक्स/एच क्यू/95/23 जयपुर, दिनांक : 16/2/06

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 16/2/06 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव

F:\Tax Documents\Notification\Tax notifi hindi.doc
F:\Tax Documents\Notification\Tax notifi hindi.doc

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

No.F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/23 Jaipur, Dated : 16/2/06

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-sec (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, (Rajasthan Act No.11 of 1951), the State Government hereby prescribes the rate of **One Time Tax** in the case of different class of **Transport Vehicles** as specified in Col.No.2 of the table appended here at the rates specified against each in Col. No. 3 thereof; namely:-

TABLE

S. N.	Description of class of Motor Vehicle	One Time Tax
1.	2.	3.
1.	Four wheeled motor vehicles	
	(a) Motor vehicle having seating capacity upto 6 excluding driver (Motor Cab).	3.50% of the cost of the vehicle.
	(b) Motor vehicle having seating capacity more than 6 excluding driver but upto 12 excluding driver (Maxi Cab).	
	(i) Purchased as a chassis.	6.00%of the cost of the chassis.
	(ii) Purchased with a complete body.	4.80%of the cost of the vehicle.

Provided that in case of transport vehicles already registered in the State, if the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification, the One Time Tax shall be arrived at by reducing the amount of tax as computed above at the rate of 10% per financial year upto 5 years from the date of registration as motor cab/maxi cab, as the case may be.

Explanation: The cost of the vehicle for computation of tax:

(i) In case of new vehicle/chassis, shall be the ex-showroom price inclusive of all taxes as shown in purchase bill.

(ii) In case of vehicles registered/purchased out side the State and brought in Rajasthan for assignment/registration, and the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on the day when the tax becomes due on similar type of vehicle in this state.

(iii) In case of vehicles already registered in Rajasthan, shall be the cost as prevailing in Rajasthan on 1st April of the financial year in which the owner or person having possession or control of the vehicle opts to pay tax under this notification on similar type of vehicles in this state.

Note:- In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a motor vehicle, any tax or penalty as was payable under this Act for any period prior to the coming into force of this notification.

By Order of the Governor

(Hanuwant Singh Bhati)
Deputy Secretary to Government
परिवहन विभाग

No.F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/23 Jaipur, Dated : 16/2/06

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated--------16/2/06----and a copy thereof may be sent to this department.
2. Private Secretary to the Principal Secretary,Chief Minister-Rajasthan, Jaipur.
3. Private Secretary to the Transport Minister,Rajasthan, Jaipur.
4. Private Secretary to the Principal Secretary(Home&Transport),Rajasthan Jaipur.
5. Private Secretary to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. Private Secretary to Transport Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
9. Law (Codification), Department, Jaipur.
10. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
11. Shri Sanjay Singhal for updating departmental website.
12. All Regional/District Transport Officers.
13. All Incharge Tax Collection Centers of Transport Deparment.

Deputy Secretary to Government